न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट कलेशान)

वाद संख्या :– 02 / 13 / 2017

बत्तो बनाम मनमोहन वगैरा
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 20.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट कलेशान पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 17.02.2017 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1850 / 0.17 है. वाके ग्राम पुराना राजगढ तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई थी तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण 1 उपस्थित न्यायालय आये तथा अप्रार्थी संख्या 2 बाद सूचना तामील उपस्थित नहीं आये उसकी तरफ से एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बाद उपस्थित न्यायालय होने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071–74 वाके पुराना राजगढ के अंकित इन्द्राज नोट के अनुसार आराजी विवादित की प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया खातेदार साबित है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रार्थना पत्र काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1850 / 0.17 है. वाके ग्राम पुराना राजगढ तहसील राजगढ स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वो प्रार्थी के हिस्से की आराजी में उसके कार्यकाश्त में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत न करें। निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 कैम्प कोर्ट कलेशान पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट कलेशान)